

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 1982/भाद्र 4, 1904
No. 249] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26 1982/BHADRA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1982

सं. 202/82-सौमाशुल्क

सा. का. नि. 539(अ) —केन्द्रीय सरकार, सौमाशुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,
भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 213-सौमाशुल्क,
तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, “अध्याय 30, 39 और 40 में अन्तर्गत सम्मिलित
क्रमशः औद्योगीय गर्भ निरोधको, प्लास्टिक गर्भ निरोधको और

रबड़ गर्भ निरोधकों को" शब्दों और अंकों के स्थान पर,
"अध्याय 30, 39, 40 और 90 के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार
के गर्भ निरोधकों को" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 355/71/82-सीमादू.क-1]

ए. के. छाबड़ा, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1982

No. 202/82-CUSTOMS

G.S.R. 539 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 213-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, for the words and figures "medical contraceptives, plastic contraceptives and rubber contraceptives, falling within Chapters 30, 39 and 40 respectively" the words and figures "all types of contraceptives falling within Chapters 30, 39, 40 and 90" shall be substituted.

[F. No. 355 71 82-Cus II]

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.